

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
आदेश

आ0सं0-9/पद-05-01/2016(खण्ड-II), सा0प्र0.....4547...../पटना-15, दिनांक.....5.4.18.....

विभागीय आदेश संख्या- 8807 दिनांक- 19.03.2008 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मी श्री शैलेश कुमार, निजी सहायक का स्थानांतरण समाज कल्याण विभाग से मानवाधिकार आयोग में एवं श्री नवनीत कुमार, आशुलिपिक का स्थानांतरण मानवाधिकार आयोग से सामान्य प्रशासन विभाग(विभागीय जाँच आयुक्त हेतु) में करते हुए पदस्थापित किया गया था, जिन्हें कार्यहित में तत्काल प्रभाव से स्वतः विरमित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

  
(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/पद-05-01/2016(खण्ड-II), सा0प्र0 .....4547...../पटना-15, दिनांक.....5.4.18.....

प्रतिलिपि:- विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/समाज कल्याण विभाग/बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना/अवर सचिव(स्था0), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कर्मियों को निदेशित किया जाता है कि कल दिनांक-06.04.2018 को कार्यालय अवधि में नव पदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

  
सरकार के अवर सचिव।